



ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय

कामेश्वरनगर, दरभंगा

अभिषद् की बैठक दिनांक 01.12.2018 का कार्यवृत्त

समय: 02:00 बजे

उपस्थिति

स्थान: माननीय कुलपति महोदय के आवासीय सभागार

1. प्रो० सुरेन्द्र कुमार सिंह, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो० जय गोपाल	-	सदस्य
3. डॉ० भोला चौरसिया	-	सदस्य
4. डॉ० अजीत कुमार चौधरी	-	सदस्य
5. श्रीमती इस्मत जहाँ	-	सदस्य
6. डॉ० बैद्यनाथ चौधरी	-	सदस्य
7. डॉ० विनोद कुमार चौधरी	-	सदस्य
8. डॉ० मदन मोहन झा	-	सदस्य
9. डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह	-	सदस्य
10. डॉ० अमर कुमार	-	सदस्य
11. डॉ० हिमांशु शेखर	-	सदस्य
12. श्री संजय सरावगी	-	सदस्य
13. डॉ० फैयाज अहमद	-	सदस्य
14. डॉ० डी० एन० पासवान	-	सदस्य
15. डॉ० प्रेम कुमार प्रसाद	-	सदस्य
16. डॉ० श्याम चन्द्र गुप्ता	-	सदस्य
17. डॉ० जे० एन० मिश्र	-	सदस्य
18. मो० अमानुल हक	-	आमंत्रित सदस्य
19. श्री विनोद कुमार	-	आमंत्रित सदस्य
20. कर्नल निशीथ कुमार राय	-	सचिव

सर्वप्रथम कुलसचिव द्वारा सभी माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया तथा माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की शुरुआत हुई। बैठक के शुरुआत में डॉ० बैद्यनाथ चौधरी एवं डॉ० विनोद कुमार चौधरी ने अनुकम्पा पर नियुक्ति करने हेतु नम्र निवेदन किया, जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय प्रसाशन इस संबंध में गंभीर है, बहुत जल्द ही अनुकम्पा समिति की बैठक बुलाई जायेगी तथा विश्वविद्यालय राज्य सरकार के पत्रों के आलोक में जल्द ही कारवाई करेगी।

मद सं० १.

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 29.10.2018 के कार्यवृत्त की संपुष्टि पर विचार।

निर्णय:

अभिषद् की गत बैठक दिनांक 20.09.2018 के कार्यवृत्त को संपुष्ट करने के क्रम में दूरस्थ शिक्षा निदेशालय तथा स्कूल गुरु से संबंधित पिछले बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में दिनांक 02.11.2018 को अपराह्न 02:00 बजे निदेशक, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जाकर सभी तथ्यों तथा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सभी कागजातों का अवलोकन किया जिससे माननीय विधायक श्री संजय सरावगी असंतुष्ट थे। तथा निर्णय लिया गया कि पुनः अनुत्तरित प्रश्नों हेतु 04.12.2018 को अपराह्न 03:00 बजे दूरस्थ शिक्षा निदेशालय जाकर पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। पुनः श्री सरावगी द्वारा अभिषद् की बैठक दिनांक 20.09.2018 में दिये गये आपत्तियों का पूर्ण जबाब अब तक नहीं मिला के संबंध में निर्णय लिया गया कि अगले बैठक से पूर्व सभी आपत्तियों का जबाब पुनः प्रेषित कर दी जायेगी। डा० विनोद कुमार चौधरी

	ने पिछली बैठक में संबंध महाविद्यालयों में शिक्षकों के भुगतान हेतु उठाये गये कदम की जानकारी चाही। जिस पर सदन को सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उक्त महाविद्यालय से उक्त जानकारी माँगी गयी है, जिसका जबाब अभी तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुआ। जानकारी प्राप्त होते की इस दिशा में सकारात्मक पहल की जायेगी। GeM Portal से खरीदारी करते समय आ रही कठिनाईयों को सदन से समक्ष रखा गया तथा आगामी अधिष्ठान की बैठक हेतु 300 बैग खरीदारी के संबंध में निर्णय लिया गया कि GeM Portal पर अगर Market से ज्यादे मूल्य है तो उक्त सामग्रियों का क्रय विशेष परिस्थिति में Open Market से किया जाय। इस कार्य हेतु डा० अजीत कुमार चौधरी के संयोजकत्व में गठित समिति को अधिकृत किया गया। इसके साथ ही, आगामी अधिष्ठान की वार्षिक बैठक दिनांक 21.12.2018 पर होनेवाले खर्च के बजट की भी स्वीकृति प्रदान की गयी। Guest Teacher का placement उनके दिए address के पास ही रिक्तता एवं आवश्यकता के आधार पर कर दिये जाने का निर्णय हुआ।
मद सं० 2 निर्णयः	तदुपरान्त, अभिषद् की गत बैठक दिनांक 29.10.2018 के कार्यवृत्त को संपुष्ट किया गया। अभिषद् की बैठक दिनांक 29.10.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेदन पर विचार।
मद सं० 3. निर्णयः	अभिषद् की बैठक दिनांक 29.10.2018 में पारित प्रस्तावों के अनुपालन-प्रतिवेदन को सदन के समक्ष रखा गया तथा सदस्यों द्वारा संतोष व्यक्त किया गया। परिशिष्ट-(क) प०सं०—) वित्त समिति एवं क्रय-विक्रय समिति दिनांक 24.11.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार। वित्त समिति एवं क्रय-विक्रय समिति से संबंधित अगर माननीय सदस्यों द्वारा कोई आपत्ति होती है तो अगले बैठक से पूर्व वे अपनी आपत्तियाँ लिखित में देंगे। माननीय विधायकों का भत्ता विधान सभा के अनुमोदित दर पर किए जाने की सहमति बनी। इसी के साथ वित्त समिति एवं क्रय-विक्रय समिति दिनांक 24.11.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
मद सं० 4. निर्णयः	ल०ना०० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा अन्तर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में चल रहे बी०ए८० पाठ्यक्रम के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के समान वेतनमान और सेवा शर्तों को निर्धारित करने हेतु विश्वविद्यालय अधिसूचना ज्ञापांक 15476-८४/१८ दिनांक 24.09.2018 द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन पर विचार। श्री संजय सरावणी एवं डॉ० बिनोद कुमार चौधरी ने इस प्रस्ताव को पूर्ण विवरण के साथ यथा-महाविद्यालयवार आमदनी तथा खर्चा तथा नियुक्ति पत्र में दर्शाये गये वेतनमान, Legal Opinion इत्यादि अगले बैठक में रखने का अनुरोध किया। तदनुसार, निर्णय लिया गया कि अगली बैठक में इसे पूर्ण विवरण के साथ पुनः उपस्थापित किया जाय।
मद सं० 5. निर्णयः	निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकेतर कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति के संबंध में विचारार्थ अभिषद् के समक्ष प्रस्तुत। विचारोपरान्त, निदेशक, उच्च शिक्षा से प्राप्त निर्देश के आलोक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में स्वीकृत पदों पर शिक्षकेतर कर्मियों की संविदा पर नियुक्ति को अभिषद् ने सर्वसम्मति से अनुमोदित किया।
मद सं० 6. निर्णयः	Minutes of Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 19.11.2018.
मद सं० 7. निर्णयः	The Minutes of Advisory Council meeting of University Department of Biotechnology held on 19.11.2018 is approved by the Syndicate. परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार। विचारोपरान्त, परीक्षा परिषद् की बैठक दिनांक 24.11.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
मद सं० 8. अतिरिक्त मद सं० 1. निर्णयः	अतिरिक्त यदि कोई हो (अध्यक्ष की अनुमति से)। To consider the resolution of the Joint meeting of “Post Creation, Absorption and Confirmation Committee” and the Committee constituted by University Memo No. SC/8792-99/18 dated 05.11.2018 was held on 29.11.2018 The resolution of the joint meeting of “Post Creation, Absorption and Confirmation Committee” and the Committee constituted by University Memo No. SC/8792-99/18

dated 05.11.2018 held on 29.11.2018 - "Report of the Committee constituted by the University vide Memo No. SC/8792-99/18 dated 02.11.2018 regarding lay down procedure of conversion of working outsourced employees on contract basis was considered in the meeting and after deliberation the Committee unanimously accepted the report with recommendation and suggested as follows:-

- (a) *Working outsourced employees may be converted on contract basis in the light of recommendation laid down in the report.*
- (b) *All outsourced employees working in Class-III cadre may appointed on contract basis against the sanctioned and vacant posts of Lower Division Clerk and equivalent posts available in the office of the University Headquarter and its allied offices/post graduate departments/constituent colleges on the basis of requisite qualifications prescribed for the posts.*
- (c) *Reservation roster shall be followed strictly in the appointment on contract basis.*
- (d) *Reservation roster shall be applicable separately in Class-III & IV cadre in the appointment on contract basis"*

is considered and unanimously approved by the Syndicate.

अतिरिक्त मद सं0 2.

To consider the representation of Dr. Ganesh Mahto for allowing him for joining to the post of Associate Professor of Mathematics.

निर्णयः

The representation of Dr. Ganesh Mahto to allow him for joining to the post of Associate Professor of Mathematics is considered and approved by the Syndicate.

अतिरिक्त मद सं0 3.

श्रीमती शान्ता कुमारी, सेवा निवृत्, सहायक प्राध्यापक, श्रम समाज कल्याण विभाग, जे०ए०डी०ए०ए०ल० महिला कॉलेज, मधुबनी को माननीय कुलपति महोदय के आदेश से स्वीकृत (क) रूपान्तरित अवकाश 61 दिनों का (ख) अर्द्धवैतनिक अवकाश 180 दिनों का (ग) अर्जित अवकाश 220 दिनों का एवं (घ) असाधरण अवैतनिक अवकाश 91 दिनों पर न्यायादेश के आलोक में कुलपति द्वारा पारित आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में विचार।

निर्णयः

श्रीमती शान्ता कुमारी, सेवा निवृत्, सहायक प्राध्यापक, श्रम समाज कल्याण विभाग, जे०ए०डी०ए०ए०ल० महिला कॉलेज, मधुबनी को माननीय कुलपति महोदय के आदेश से स्वीकृत (क) रूपान्तरित अवकाश 61 दिनों का (ख) अर्द्धवैतनिक अवकाश 180 दिनों का (ग) अर्जित अवकाश 220 दिनों का एवं (घ) असाधरण अवैतनिक अवकाश 91 दिनों पर न्यायादेश के आलोक में कुलपति द्वारा पारित आदेश की घटनोत्तर स्वीकृति को अभिषद् द्वारा अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 4.

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विभागीय सलाहकार समिति की 83वीं बैठक म०स०- 83.3 के तहत लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 22.11.2018 को चयन समिति द्वारा लिए गए अन्तर्विक्षा के आलोक में चयनित सूची के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विभागीय सलाहकार समिति की 83वीं बैठक म०स० 83.3 के तहत लिए गए निर्णय के आलोक में दिनांक 22.11.2018 को चयन समिति द्वारा लिए गए अन्तर्विक्षा के आलोक में चयनित सूची को अभिषद् ने अनुमोदित किया।

अतिरिक्त मद सं0 5.

ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा परिसर को हेरिटेज कैम्पस के रूप में चिह्नित किए जाने एवं पुरातात्त्विक भवनों के संरक्षण संबंधित मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक दिनांक 30.11.2018 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

सर्वसम्मति से ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा परिसर को हेरिटेज कैम्पस के रूप में चिह्नित किए जाने एवं पुरातात्त्विक भवनों के संरक्षण संबंधित मॉनिटरिंग कमिटी की बैठक दिनांक 30.11.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 6.

माधव, बी०टेक, पिता – डा० मदन मोहन झा, द्वारा ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दान दाता सदस्य बनने हेतु किये आवेदन पर विचार।

निर्णयः

माधव, बी०टेक, पिता – डा० मदन मोहन झा, द्वारा ल०ना०मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा में अधिषद् के आजीवन दान दाता सदस्य बनने हेतु किये आवेदन पर विचार किया गया तथा अनुमोदित किया गया।

अतिरिक्त मद सं0 7.

जी०आई०सी० की राशि पर ब्याज की दर निर्धारित करने के संबंध में विचार।

निर्णयः

जी०आई०सी० से संबंधित भुगतान 8% वार्षिक ब्याज की दर पर भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने पर सहमति बनी। कोर्ट को 2014 में जारी पत्र को भी भेजने का सुझाव वित्तीय परामर्शी ने दिया।

अतिरिक्त मद सं0 8.

दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विभागीय सलाहकार समिति की 85वीं बैठक में दिनांक 29.11.2018 को लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार।

निर्णयः

विचारोपरान्त, दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के विभागीय विभागीय सलाहकार समिति की 85वीं बैठक

- में दिनांक 29.11.2018 को लिये गये निर्णय एवं कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
 अन्यान्य मद सं0 01 आगामी अभिषद् की बैठक दिनांक 12.12.2018 को आहूत करने का निर्णय लिया गया।
 डॉ० अजीत कुमार चौधरी के प्रस्ताव महिला अध्ययन के परामर्शदात्री समिति की बैठक दिनांक 01.12.2018 के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया गया।
 श्री संजय सरावगी के द्वारा डी०एम० के पत्र जिसमें किलाधाट में अमृत योजना हेतु स्थल आवंटन को सदन के समक्ष रखा, जिस पर अध्यक्ष महोदय ने संबंधित प्रधानाचार्य के अनुशंसा के उपरान्त नियमानुकूल कारवाई करने का आश्वासन दिया।
 डॉ० अजीत कुमार चौधरी के प्रस्ताव कि विश्वविद्यालय परिसर में अवस्थित कुल 13 सरोवरों का सौन्दर्योक्तरण जन प्रतिनिधियों द्वारा करवाने के संबंध में निर्णय लिया गया कि 13 में से 06 सरोवर को Tourism Department, Patna को, और बाकी सरोवरों को नगर विकास विभाग को सौन्दर्योक्तरण करवाने हेतु निवेदन किये जाने का निर्णय लिया गया।
 डॉ० महेन्द्र प्रसाद सिंह के प्रस्ताव की सेन्ट्रल लाइब्रेरी में इच्छा अनुसार जाकर किताब पढ़ने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा जिसपर निर्णय लिया गया कि अभिषद् सदस्यों को बिना किसी शुल्क के Library Card बनवाया जायेगा तथा माननीय सदस्यगण पुस्ताकलय में जाकर इच्छानुसार पुस्तक पढ़ सकेंगे।
 डॉ० बैद्यनाथ चौधरी ने CWJC 5859/96 के आलोक में विश्वविद्यालय द्वारा गठित समिति के प्रतिवेदन के आधार पर अधिसूचित व्यक्तियों का Pay Fixation जल्द से जल्द करवाने का आग्रह किया। जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया कि इस सन्दर्भ में कार्य चल रहा है और जल्द ही इस कार्य को पूरा कर लिया जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय के अनुमति से कुलसचिव महोदय ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए माननीय सदस्यों से सहयोग हेतु आभार प्रकट करते हुए आग्रह किया कि सभी अपनी—अपनी ई—मेल आई० डी० अगले बैठक में साथ लावें ताकि त्वरित संचार में आसानी हो सके।

ह० /—
 (निशीथ कुमार राय)
 कुलसचिव—सह—सचिव

ह० /—
 (सुरेन्द्र कुमार सिंह)
 कुलपति—सह—अध्यक्ष

ज्ञापांक:— ॥B-472/18

दिनांक:— 1-12-2018

प्रतिलिपि प्रेषित:—

1. अभिषद् के सभी माननीय सदस्य, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
2. सचिव, उच्च शिक्षा बिहार, पटना।
3. निदेशक, उच्च शिक्षा, बिहार, पटना।
4. उप—सचिव, राज्यपाल सचिवालय, बिहार, पटना।
5. नोडल पदाधिकारी (विश्वविद्यालय वेबसाईट), ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।
6. सभी पदाधिकारी/कुलपति के सचिव/प्रति—कुलपति/वित्तीय परामर्शी/कुलसचिव के निजी सहायक, ल०ना० मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ।

कुलसचिव